शोध मंथन Vol. XV No.II Apr.-June 2024 ISSN: (P) 0976-5255 (e) 2454-339X
Impact Factor 8.8777 (SJIF)

भारत में कन्या भ्रूण हत्या पर एक विश्लेषणात्मक अध्ययन : मुद्दे और चुनौतियाँ

प्राप्तिः 28.05.2024
स्वीकृतः 27.06.2024

डिग्गी कुमार धाकड़
शोधार्थी विधि संकाय
जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर
ईमेलः*diggirekha@gmail.com*

51

सारांश

भारत के विभिन्न हिस्सों में लिंग निर्धारण गर्भपात और कन्या भ्रूण हत्या के मामलों में वृद्धि एक महत्वपूर्ण सामाजिक घटना बन गई है। यह सभी जाति, वर्ग और समुदाय में है। लड़कियां पैदा होने से पहले ही भ्रूण हत्या का निशाना बन जाती हैं। कई वैज्ञानिकों ने देखा है कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में नवीनतम प्रगति, एमनियोसेंटेसिस और अल्ट्रासाउंड जैसे परीक्षण, जो मूल रूप से भ्रूण की जन्मजात विसंगतियों का पता लगाने के लिए डिजाइन किए गए थे, का दुरुपयोग भ्रूण के लिंग का निर्धारण करने के लिए किया जा रहा है, जिससे कि भ्रूण हत्या का अपराध कारित किया जा सके।यह मेडिकल परीक्षण एक महिला का होता है. सबसे बुरी बात यह है कि जब ये गर्भपात सुरक्षित तीन महीने की अवधि से भी अधिक समय तक किया जाता है, तो महिला का जीवन खतरे में पड़ जाता है। यह पेपर सैद्धांतिक रूप से भारत में कन्या भ्रूण और शिशुहत्या की घटनाओं की भयावहता का विश्लेषण करता है।

परिचय

कन्या भ्रूण हत्या कन्या भ्रूण की जन्मपूर्व हत्या है। यह अजीब बात है कि बहुत से लोग तब दुखी होते हैं जब उनके घर में बेटियां आती हैं। यहां तक कि माताएं भी जल्दी से यह भूल जाना चाहती हैं कि वे कभी 'लड़कियां' थीं। कल्पना चावला, मेधा पाटकर और अरुंधति रॉय जैसी महिलाएं क्यों हैं? इनको या तो जन्म लेने से न रोका गया या जन्म के तुरंत बाद उनकी हत्या न कर दी गई, इसलिए? यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोग मानते हैं कि लड़कियों को आदर्श माना जाना चाहिए। क्या भ्रूण हत्या और वो भी इसलिए कि वो भ्रूण आगे चलकर एक महिला बनेगा, जैसे कृत्य हमारे समाज और अन्य आदर्शवादी सोच की प्रतिष्ठा को दिन दूना रात चौगुना बढ़ावा देंगे?

इक्कीसवीं सदी में भी कई भारतीय घरों में लड़की के जन्म को नकारात्मक दृष्टि से देखा जाता है। माता–पिता ऐसे संकीर्ण सोच वाले सवाल पूछते हैं, जो बड़ो की सम्मान और बड़प्पन पर एक अच्छा खासा सवाल खड़ा करता है। इसका मुख्य कारण यह है कि वे गलत तरीके से यह मानते हैं कि उनके बेटे उम्र बढ़ने के साथ उन्हें शारीरिक और आर्थिक रूप से मदद करेंगे, जबकि उनकी

बेटियों कीदूसरे घर में शादी करनी होगी और फिर वे विदा होकर अपने–अपने पतियों के साथ रहेंगी और यदि वे उनकी मदद करेंगी तो हो सकता है कि वे उनकी मदद करने के लिए मौजूद न हों। लोगों का यह भी मानना है कि बेटियां पैसा खोने की इच्छा रखती हैं जबकि बेटे उसे पाने की इच्छा रखते हैं। इसी तरह, दहेज, यौन उत्पीड़न और लड़कियों के खिलाफ हिंसा की भयानक प्रथाएं, जो इन्हें हटाने के लिए कई कानून पारित होने के बावजूद अभी भी हमारे समाज में मौजूद हैं, इसी तरह के विचारों को बढ़ावा देती हैं।

कारण

हमारे समाज में दहेज प्रथा महिलाओं के गर्भपात करने का मुख्य कारण है। कई गरीब परिवारों को डर है कि वे दहेज देने में असमर्थ हो सकते हैं, इसलिए वे अपनी अजन्मी बेटियों को मार देते हैं। हमारी संस्कृति में, कई माता–पिता महिलाओं को वित्तीय बोझ मानते हैं।'वे यह विश्वास करना चाहते हैं कि एक महिला पर वे जो पैसा खर्च करते हैं वह बेकार है क्योंकि वह अंततः शादी करके अपने घर को चले जायेंगी और अपने जीवनसाथी के साथ रहने लगेंगी।

बढ़ती महंगाई कन्या भ्रूण हत्याओं का बड़ा कारण है। माता–पिता बेटी पैदा करने से झिझकते हैं क्योंकि उन्हें उसकी शिक्षा और शादी की चिंता होती है और वे लड़कियों को वित्तीय बोझ के रूप में देखते हैं।

कन्या भ्रूण का मुख्य कारण प्रौद्योगिकी है। आज माता–पिता जन्म से पहले ही अपने बच्चे का लिंग निर्धारित कर लेते हैं और यदि उनकी इच्छा नहीं होती तो भ्रूण का गर्भपात करा देते हैं। भ्रष्टाचार कन्या भ्रूण हत्याओं में वृद्धि में योगदान देने वाला एक अन्य प्रमुख कारक है। कुछ डॉक्टर अपनी आय बढ़ाने के लिए यह घिनौना काम करते हैं।

कन्या भ्रूण के कारण महिलाओं की संख्या तेजी से घट रही है

शादी के लिए महिलाओं को ढूंढ़ना कठिन होता जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप युवा महिलाओं को गुलामों के रूप में बेचा जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, असम और पश्चिम बंगाल से लड़कियों का अपहरण कर उन्हें देश के सबसे कम लिंगानुपात वाले राज्य हरियाणा में शादी के लिए बेच दिया जाता है। चूँकि हमारे समाज में महिलाओं की संख्या कम हो रही है, यह तेजी से पुरुष–प्रधान होता जा रहा है, जो कि एक भयावह स्थिति की ओर अग्रसर होने का स्पष्ट संकेत देता है। सभी अल्ट्रासोनोग्राफी केंद्रों को पंजीकृत किया जाना चाहिए और जो ऐसा करने में विफल रहते हैं उन पर गंभीर जुर्माने का प्रावधान होना चाहिए। प्रशासन को राष्ट्रव्यापी सूचना प्रसार अभियान शुरू करना चाहिए। उन्हें लोगों को महिलाओं के मान, प्रतिष्ठा और मानव समाज में एक महिला की स्थिति कितनी सर्वोत्तम होती है इस विषय की महत्ता के बारे में बताना चाहिए और इस धारणा को दूर करने के लिए काम करना चाहिए कि लड़कियां परिवार का अपमान करती हैं।

लोगों में जागरुकता

जैसे–जैसे इस मुद्दे के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ी है, कई मशहूर हस्तियों, एथलीटों और पत्रकारों ने लिंग आधारित गर्भपात को खत्म करने के लिए अभियान शुरू किया है। जन जागरूकता बढ़ाने के लिए, बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान ने बेटियों के लिए अपने शो सत्यमेव जयते

का पायलट एपिसोड फिल्माया। उन्होंने राजस्थान के पश्चिमी हिस्से पर ध्यान केंद्रित किया, जिसे उन क्षेत्रों में से एक माना जाता है जहां यह प्रथा प्रचलित थी। बड़ी संख्या में लोग तेजी से और जबरदस्त तरीके से सहायता के लिए एक साथ आए। इस कार्यक्रम के प्रसारित होने के बाद राजस्थान सरकार ने कार्रवाई की, जिससे यह प्रदर्षित हुआ कि इस मुद्दे पर मीडिया और राष्ट्रीय जागरूकता कैसे बदलाव ला सकती है। जांच के बाद, उन्हें छह अल्ट्रासोनोग्राफी केंद्रों के लाइसेंस रद्द करने और बीस से अधिक अन्य को स्थिति के बारे में सूचित करने की आवश्यकता थी 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अभियान एक शानदार विचार और नीति थी, लेकिन इसे जमीनी स्तर पर लागू करना और समझना उतना ही मुश्किल था। 1900 के दशक की शुरुआत से, यह कई भारतीय समूहों में होता रहा है। मीडिया ने इस तथ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के अभियान पर चर्चा की है कि लिंग–चयनात्मक गर्भपात के परिणामस्वरूप लिंग असमानताएं हो सकती हैं। बेटी के हिस्से के रूप में 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' अभियान में कई रैलियां, पोस्टर, लघु फिल्में और टेलीविजन विज्ञापन हैं, जिनमें से अधिकांश सरकारों और अन्य संगठनों द्वारा वित्त पोशित हैं।[2]

भारत में अजन्मे बच्चों की सुरक्षा के लिए कानून बनाए गए हैं।

- **भारतीय दंड संहिता,1860**

1860 की भारतीय दंड संहिता(धारा 312), 1971 के मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट के बराबर है।20 सप्ताह की समय सीमा सहित सभी आवश्यक प्रतिबंध, उन लोगों के अपवाद के साथ जो चिकित्सा समस्याओं की पुष्टि करते हैं, अधिकार का उल्लंघन करते हैं। गर्भपात और स्वास्थ्य का अधिकार, जो दोनों संविधान के जीवन के अधिकार के अनुच्छेद 21 में आधारित हैं। संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार, निजता का अधिकार जीवन के अधिकार का विस्तार है। गर्भपात के अधिकार को इस अधिकार का एक घटक माना जा सकता है।

भारतीय दंड संहिता, की धारा 312–316 गर्भपात और अजन्मे बच्चे की मृत्यु पर चर्चा करती है। कार्य की गंभीरता और जिस तरीके से यह किया गया था, उसके आधार पर दंड सात साल की जेल और जुर्माने से लेकर आजीवन कारावास तक हो सकता है।

धारा 312: महिला की जान बचाने के लिए गर्भपात अच्छे विश्वास (GOOD FAITH) से नहीं किया जाता है, तो अपराधी को तीन साल तक की जेल, एक लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों का सामना करना पड़ सकता है। यदि महिला पहले से ही गर्भवती है, तो अपराध की प्रकृति के आधार पर अपराधी को सात साल तक की जेल या जुर्माना हो सकता है। एक महिला जो काफी कठिनाई का कारण बनती है। यह खंड बताता है कि कैसे एक महिला गर्भपात का अनुभव कर सकती है।

धारा 313: किसी महिला को उसकी सहमति के बिना गर्भपात के लिए प्रेरित करना जो कोई भी महिला की सहमति के बिना पिछली धारा में निर्दिष्ट अपराध करेगा, भले ही वह गर्भवती हो या नहीं, उसे आजीवन कारावास या दस साल तक की जेल की सजा दी जाएगी, जो कि इस पर निर्भर करता है।

गर्भपात को प्रेरित करने के उद्देश्य से किए गए कृत्य से प्रेरित मृत्यु: जो कोई गर्भपात को प्रेरित करने के इरादे से एक गर्भवती महिला की हत्या करता है, उसे दस साल तक की जेल या तीन

लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है। यदि यह कार्य महिला की सहमति के बिना किया जाता है, तो वह अपना शेष जीवन जेल में बिता सकती है या बढ़े हुए सामाजिक नियंत्रण के अधीन हो सकती है। वर्तमान अपराध के लिए, यह जानना आवश्यक नहीं है कि अपराधी के कृत्यों के परिणामस्वरूप मृत्यु होने की संभावना है।

पैदा होने से रोकने या जन्म के बाद उसकी हत्या करने के लिए बनाए गए अधिनियम, जैसा कि धारा 315 में उल्लिखित है। जो कोई भी बच्चे के जन्म से पहले बच्चे को जीवित पैदा होने से रोकने या प्रसव के बाद मृत्यु का कारण बनने के उद्देश्य से कुछ अपराध करता है, वह दोशी है हत्या dkA ; fn ml dk t Ue ekj dh t ku cpkus dsfy , v PNsfo"okl ½GOOD FAITH) के साथ नहीं किया गया, तो उसे दस साल तक की जेल या जुर्माना हो सकता है।

धारा 316: हत्या के माध्यम से अजन्मे बच्चे की मृत्यु का कारण बनना, जो कोई ऐसा कार्य करता है, जिससे यदि किसी महिला की मृत्यु हो जाती, तो उन्हें मानव हत्या का दोषी माना जाता है और अजन्मे बच्चे की मृत्यु का कारण, उसे दंडित किया जाता है। किसी भी प्रकार में दस वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है।

गीताबाईतुकाराम अंब्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में[3] आरोपी मां को इस तथ्य को छिपाने के प्रयास के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 318 के तहत दोषी पाया गया कि उसने अपने नवजात बच्चे के शरीर को ठिकाने लगाकर जन्म दिया था। चूँकि माँ अविवाहित थी और उसने सामाजिक दबाव के कारण अपराध किया, यह स्पष्ट था कि उसने ऐसा क्यों किया।

मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट, 1971 महिलाओं के लिए अपनी गर्भावस्था को समाप्त करना आसान बनाने के लिए बनाया गया था। 1971 एक्ट ने गर्भवती महिलाओं को अपने बच्चों की संख्या और अंतर निर्धारित करने की स्वतंत्रता दी। इसमें उन्हें बच्चा पैदा करने या न करने का विकल्प भी दिया गया। लेकिन इस नेक इरादे वाले सुरक्षा उपाय का इस्तेमाल महिलाओं को अपने बच्चों का गर्भपात करने के लिए मजबूर करने के लिए किया गया था, ठीक उसी तरह जैसे हर दूसरे कानून की खामियों का इस्तेमाल व्यक्तियों को गर्भपात कराने के लिए मजबूर करने के लिए किया जाता है। इन कानूनी खामियों को दूर करने के लिए, प्रसवपूर्व निदान तकनीक अधिनियम (उनके दुरुपयोग को विनियमित करना और रोकना 1994 में पारित किया गया और जनवरी 1996 में लागू हुआ। भ्रूण के लिंग का निर्धारण करना अवैध था, और ऐसा करने वालों को दंडित किया गया था। इसमें आनुवंशिक परामर्श केंद्रों, क्लीनिकों, अस्पतालों, नर्सिंग होम और अन्य स्थानों के पंजीकरण की भी आवश्यकता थी।

शिशुहत्या के ऐतिहासिक मामले

एसके हैरिसन बनाम दिल्ली राज्य मामले में एक शिशु की हत्या शामिल है। इस मामले में आरोपी भारतीय नौसेना में एक अधिकारी था। अपने माता–पिता के पास छोड़ने के बाद वह अपनी पत्नी और 4 महीने के बेटे को मुश्किल से हर दिन एक बार देखता था। आरोपी पहले भी अपनी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार कर चुका है। 28 जून, 1990 को जब वह काम से घर लौटा तो उसने उस पर अनैतिक होने का आरोप लगाया। इस उदाहरण में, अपीलकर्ता ने शिशु को उसकी मां से छीन लिया,

उसे हवा में उछाल दिया और शिशु का सिर बिस्तर के किनारे से टकरा गया। उसके बाद, अपीलकर्ता उसकी मृत्यु तक उसे नुकसान पहुंचाता रहा।

अपीलकर्ता ने इस घिनौने कृत्य को अंजाम देते समय टेप रिकॉर्डर और रेडियो की आवाज भी बढ़ा दी ताकि उसके पड़ोसियों को बच्चे की चीख न सुनाई दे। दूसरी ओर, अपीलकर्ता ने दावा किया कि बच्चे की मौत एक दुर्घटना में हुई थी जो तब हुई जब उसने बच्चे को उसकी माँ से हटाने का प्रयास किया और शिशु का सिर फोल्डिंग बिस्तर से टकरा गया। अदालत ने निर्धारित किया कि माँ को अपनी गवाही बदलने के लिए मजबूर किया गया था, और अपीलकर्ता के हिंसा के इतिहास से संकेत मिलता है कि माँ का विवरण संभवतः सटीक था। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोशी पाए जाने के बाद[4]अपीलकर्ता की अपील खारिज कर दी गई।

नागालैंड राज्य बनाम मिस लुलानो लोथा

इस मामले में, लुलानो नागालैंड की एक आदिवासी महिला लोथा पर अपने नवजात बच्चे की हत्या का आरोप लगाया गया था। इसके अलावा, उस पर एक मृत लाश को छुपाने और बेईमानी से उसका निपटान करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 318 और 302 के तहत आरोप लगाया गया था। इन उपरोक्त दो दोषसिद्धियों के खिलाफ उसकी अपील है, जिसे वह जेल से दायर कर रही है। वादी के अनुसार, लुलानो ने अपने घर के पास एक लड़के को जन्म दिया।

उसने अपने नवजात शिशु का गला तीन बार दबाया, जो उसे तुरंत मारने के लिए पर्याप्त था। फिर उसने मृतक के शव को कपड़े में लपेटा और बगल के जंगल में छिपा दिया। तीन दिन बाद, उस क्षेत्र के प्रभारी अधिकारी को एक मृत व्यक्ति की फेंकी गई नाल की खोज हुई। चिकित्सीय परीक्षण के बाद, लुलानो शिशुहत्या के आरोप में हिरासत में लिया गया था। चिकित्सा पेशेवर के अनुसार, लुलानो के शरीर पर मौजूद तरल पदार्थ से संकेत मिलता है कि उसने अपने आप एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया है। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि शिशु अपनी मृत्यु से पहले सांस ले रहा था और शव परीक्षण से पता चला कि शिशु अच्छे स्वास्थ्य में था। वह इस नतीजे पर पहुंचे कि दम घुटने से ऑक्सीजन की कमी मौत का कारण बनी, लुलामो भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के उल्लंघन में नवजात की हत्या करने और भारतीय दंड संहिता की धारा 318 के उल्लंघन में शव को छुपाने और ठिकाने लगाने का दोषी पाया गया। यह इस तथ्य के कारण था कि इस बात के सबूत थे कि शिशु मृत पैदा नहीं हुआ था और उसने शिशु की हत्या करना स्वीकार कर लिया था। उसी अपराध के लिए, उसे आजीवन कारावास और दो साल की साधारण कारावास की[5]सजा सुनाई गई।

इस मामले में, अदालत ने फैसला सुनाया कि मां का कबूलनामा कोई सबूत नहीं देता क्योंकि यह अंग्रेजी में दिया गया था, जो उसकी मातृभाषा नहीं है। अदालत ने कहा कि उसके कबूलनामे का अनुवाद अपर्याप्त था। इसके अलावा, चिकित्सीय जानकारी अस्पष्ट है, इसलिए यह पुष्टि करना असंभव है कि शिशु जीवित पैदा हुआ था या नहीं। परिणामस्वरूप हत्या का आरोप हटा दिया गया। अदालत के मुताबिक, जब मां गर्भवती थी तो उस पर नजर नहीं रखी गई और इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उसका मृत शिशु से कोई संबंध था। नतीजतन, आरोप खारिज कर दिए गए और अपील मंजूर कर ली गई।[6]

केई थंकामणि बनाम केरल राज्य

सुप्रीम कोर्ट ने अपीलकर्ता को विशेष अनुमति दी। उसे अपने दो बच्चों को कुएं में फेंककर मारने के लिए धारा 302 के तहत दोषी पाया गया। अपीलकर्ता ने कुएं में छलांग लगा दी और बच गई, जैसा कि केरल क्रिमिनल रूल्स ऑफ प्रैक्टिस, 1982 के नियम 131 से पता चलता है। इस कानून के अनुसार, यदि किसी महिला को अपने बच्चे या नवजात शिशु की हत्या का दोषी ठहराया जाता है, तो सत्र न्यायाधीश को मामला भेजना होगा। उच्च न्यायालय और सरकार को संभावित सजा में कमी के संबंध में अपनी राय से अवगत कराएगा। इस उदाहरण में, सुप्रीम कोर्ट ने अपीलकर्ता और उसकी मां को कम अवधि की सजा देने पर विचार किया क्योंकि निचली अदालतों ने एक निश्चित मानदंड की अवहेलना की थी।[7]

राधा बनाम राजस्थान राज्य

उत्तरदाताओं के अनुसार, एक नवजात शिशु की माँ, सुश्री राधा ने एक बच्चे को जन्म दिया, जन्म के तुरंत बाद बच्चे की हत्या कर दी और शव को फेंक दिया। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक, बच्चे के शव परीक्षण से पता चला कि खोपड़ी झुलस गई थी और बच्चा घायल हो गया था। अभियोजन पक्ष के गवाहों के अनुसार, सुश्री राधा जन्म देने से कुछ दिन पहले उन्हें अपने नवजात बच्चे से भरा एक बंडल ले जाते हुए देखा गया था। ट्रायल कोर्ट ने निर्धारित किया कि उसने भारतीय दंड संहिता की धारा 318 और 302 का उल्लंघन किया है, इस प्रकार उन्होंने उसे दोषी ठहराया। इस मामले में, राजस्थान उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि राधा ने वास्तव में एक जीवित बच्चे को जन्म दिया था जिसका शरीर फेंका हुआ पाया गया था। अदालत ने यह भी कहा कि अभियोजन पक्ष के मामले में एक महत्वपूर्ण तत्व गायब है, वह यह कि क्या शिशु के सिर पर चोट लगने से उसकी मौत हुई या नहीं।[8]

उचित प्रमाण–पत्र और प्राधिकरण वाले प्राधिकारी : समुचित प्राधिकारी अपराधियों की मशीनों, उपकरणों और रिकॉर्डों की खोज कर सकते हैं, जब्त कर सकते हैं और सील कर सकते हैं। कुछ नैदानिक उपकरण केवल सरकार द्वारा पंजीकृत व्यवसायों द्वारा ही खरीदे जा सकते हैं। अधि ानियम एक राष्ट्रीय और एक राज्य पर्यवेक्षक बोर्ड, एक सक्षम प्राधिकारी और सहायता के लिए एक सलाहकार समिति की स्थापना करता है। पर्यवेक्षी बोर्ड कानून की निगरानी, संशोधन और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है। 'सक्षम प्राधिकारी' पंजीकरण और अन्य प्रशासनिक गतिविधियों, जैसे निरीक्षण, जांच और नियमों की अवहेलना करने वालों को दंडित करने का प्रभारी व्यक्ति है। सलाहकार समिति सक्षम प्राधिकारी को विषेशज्ञ और तकनीकी सहायता प्रदान करती है।

- धारा 22 प्रसवपूर्व लिंग निर्धारण का विज्ञापन करने वाले को अपराधी मानती है और दंडित करती है।
- कानून की धारा 23 (3) में कहा गया है कि जो कोई भी सूचीबद्ध कारणों के अलावा गर्भवती महिलाओं पर प्रसव पूर्व निदान प्रक्रिया करने के लिए आनुवंशिक परामर्श केंद्र, आनुवंशिक प्रयोगशाला या क्लिनिक, या पंजीकृत आनुवंशिकीविद्, स्त्री रोग विषेशज्ञ, या डॉक्टर के पास जाता है, वह इसके अधीन है। तीन साल तक की जेल और तीन लाख रुपये तक का जुर्माना। उसे पांच साल की जेल और दस लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

प्रभावशीलता और नियम अनुपालन

भारत में महिलाओं को गर्भधारण करने में सहायता की जाती है। मेडिकल गर्भपात अधि ानियम के अनुसार, यदि गर्भावस्था उसके स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त खतरा पैदा करती है तो वह गर्भपात करा सकती है। व्यक्तियों ने अजन्मे बच्चों के लिंग का निर्धारण करने के लिए कानूनी प्रणाली का उपयोग किया है। अल्ट्रासाउंड मशीनें संचालित करने में सरल और सस्ती हैं। बिना लाइसेंस वाले अल्ट्रासाउंड प्रयोगशालाओं को रोकना और प्रबंधित करना मुश्किल और असंभव था। कन्या भ्रूण के दुरुपयोग की प्रथा की निगरानी कौन करेगा, यह अभी भी स्पष्ट नहीं है, और ऐसा करना मुश्किल होगा क्योंकि यह केवल डॉक्टर ही हो सकता है जो गर्भपात करता है या भ्रूण की मां।

जब इस प्रकार के अवैध आचरण की बात आती है, तो कानून प्रवर्तन हमेशा राजनीतिक प्रभाव के अधीन रहा है। उदाहरण के लिए, प्रयोगशालाओं और चिकित्सकों को अक्सर राजनीतिक समर्थन प्राप्त होता है, इस प्रकार वे कानून तोड़ने से बचने के लिए पैसे से कानून निर्माताओं को खरीद सकते हैं। कई उदाहरणों से पता चला है कि कानून में हमेशा किसी सामाजिक प्रथा को बदलने की क्षमता नहीं होती है। स्वास्थ्य और परिवार सेवा विभाग ने 1994 अधिनियम में कई संशोध ान प्रस्तावित किए थे। अधिनियम 2002 में संशोधित किया गया था और 2003 में संघीय सरकार ने अधिनियम की धारा 32 के लिए नियम जारी किए। इन नियमों को 'लड़कियों की उत्तरजीविता, सुरक्षा और विकास' गर्भधारण पूर्व तकनीक और प्रसवपूर्व निदान नियम 1996 के रूप में भी जाना जाता है। लड़की के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए और युवा लड़कियों की हत्या को समाप्त करना और शिशु के लिंग का निर्धारण करने के लिए एमनियोसेंटेसिस का उपयोग करना अवैध हेाता है।

बालिका समृद्धि योजना

योजना बनाते समय निम्नलिखित उद्देश्य ध्यान में रखे गए थेः

1. परिवार और आस–पड़ोस के नकारात्मक दृष्टिकोण को बदलना।
2. लड़कियों को स्कूल में उपस्थित रहने और बने रहने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
3. लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाई जानी चाहिए।

इस समस्या से निपटने के लिए विषेश कानून और नीति घोषणाओं के अलावा, दहेज, गरीबी और महिलाओं की आर्थिक निर्भरता जैसी स्थितियों को संबोधित करने के लिए कई कानून बनाए गए हैं, जो भ्रूण और शिशुहत्या की समस्या में योगदान करते हैं।

1. 1961 के दहेज निषेध अधिनियम, जिसे 1986 में संशोधित किया गया, ने दहेज को अवैध बना दिया।
2. 1955 में, हिंदू विवाह कानून आधिकारिक हो गया।
3. 1956 में, हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण–पोषण अधिनियम कानून बन गया।
4. 1986 का अवैध तस्करी निवारण अधिनियम।
5. 1976 का समान वेतन अधिनियम एक संघीय कानून है जो कंपनियों को पुरुषों और महिलाओं को अलग–अलग भुगतान करने से रोकता है।

ये कानून यह सुनिश्चित करने के लिए हैं कि महिलाओं को उनका हक मिले। राज्य के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग भी दीर्घकालिक निवारक के रूप में कन्या भ्रूण हत्या के बारे में जागरूकता बढ़ाने और जनता को शिक्षित करने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास कर रहे हैं। गैर सरकारी संगठनों, मीडिया, मनोरंजन क्षेत्र, खेल उद्योग, आध्यात्मिक नेताओं, चिकित्सा क्षेत्र, युवा लोगों और विशेषाधिकार प्राप्त स्थिति वाले किसी भी अन्य व्यक्ति को सामाजिक परिवर्तन के एजेंट के रूप में अभियान में पूरी तरह से शामिल होना चाहिए।

लिंग परीक्षण का दुरुपयोग करने वाले व्यक्तियों से सुरक्षा

कन्या भ्रूण की हत्या सामाजिक रूप से शर्मनाक है। श्रीमती प्रतिभा पाटिल, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति ने डॉक्टरों को सलाह दी है कि वे बच्चे के लिंग का अनुमान लगाने के लिए प्रसव पूर्व निदान परीक्षणों का उपयोग न करें। ऐसे कानून और नियम हैं जो डॉक्टरों को भ्रूण के लिंग का निर्धारण करने से रोकते हैं। यह न केवल अवैध है, बल्कि समाज के लिए हानिकारक और अनैतिक भी है। श्रीमती प्रतिभा पाटिल ने 'इंडियन एसोसिएशन ऑफ रेडियोलॉजिस्ट एंड इमेजिंग' के 64वें राष्ट्रीय सम्मेलन में कहा कि सभी चिकित्सा सुविधाओं, चिकित्सकों और रेडियोलॉजिस्ट को कन्या भ्रूण के जन्म को रोकने के लिए नियमों का पालन करना चाहिए।

जनगणना से यह भी पता चला कि राज्य में छह साल की महिलाओं की संख्या में दस लाख की कमी आई है जबकि जनसंख्या में 30 लाख की बढ़ोतरी हुई है। 24 जून 2006 को, धार्मिक नेताओं का एक समूह एकता प्रदर्शन के लिए नई दिल्ली में एकत्र हुआ और कन्या भ्रूण के उन्मूलन के लिए एक राष्ट्रीय अभियान शुरू करने पर सहमत हुआ। कन्या भ्रूणों की बढ़ती हिंसक और शर्मनाक हत्या की जोरदार निंदा की जानी चाहिए।

निष्कर्ष

हालात में सुधार हो रहा है, भगवान का शुक्र है, महिलाएं समाज के नियमों को फिर से लिख रही हैं। उनमें से कुछ चिकित्सक, इंजीनियर, वैज्ञानिक, पुलिस और सैन्य अधिकारी, अंतरिक्ष यात्री, साथ ही अन्य व्यवसाय वाले लोग हैं। चाहे उनका जीवन स्तर कुछ भी हो, वे नई ऊंचाइयां हासिल करते हैं। वर्तमान में, महिलाओं के लिए स्कूल जाना सबसे महत्वपूर्ण है ताकि वे खुद को बनाए रखने के लिए पर्याप्त पैसा कमा सकें और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपने कल के अस्वस्थ सोचने के तरीके को बदलना होगा। हमारी सभ्यता को कायम रखने के लिए हमें महिलाओं के जन्म के विषय पर और परिपक्व होना होगा। इन कारकों के कारण, भारत को अभी भी पितृसत्तात्मक समाज माना जा सकता है। परिणामस्वरूप, हमारे समाज के सभी सदस्यों के लिए तुरंत सहयोग करना महत्वपूर्ण है। माता–पिता को लिंग की परवाह किए बिना अपने बच्चों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए और उन्हें सभ्य एवं उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने की शिक्षा देनी चाहिए। छोटे बच्चों, विषेशकर लड़कियों को आत्मरक्षा सीखनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, सरकार को महिलाओं के खिलाफ भेदभाव और महिलाओं के खिलाफ अपराधों के खिलाफ और अधिक कड़े कानून बनाने और लागू करने चाहिए।

संदर्भ

1. https://www.bbc.co.uk/ethics/abortion/medical/infantIDE_1.shtml
2. http://www.bbpindia.gov.in/
3. (1998). गीताबाई तुकाराम अम्ब्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य. 100 (3) बॉम एलआर 436.
4. (2007). एसके हैरिसन बनाम दिल्ली राज्य. 98 डीआरजे 257 (डीबी)।
5. (1981). लुलानो लोथा बनाम नागालैंड राज्य. क्रिएलजे 522.
6. (1981). लुलानो लोथा बनाम नागालैंड राज्य. क्रिएलजे 522.
7. (1998). केई थंकामणि बनाम केरल राज्य. एससीसी (सीआरआई) 1357.
8. (1973). राधा बनाम राजस्थान राज्य. (6) डब्ल्यूएलएन 709.